

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर

क्रमांक :- सानि / स्कूल शिक्षा / भरत / माध्य / संस्था - 1 / फा - नि०व०३० / भ.व. २०१६ / १८-१९ / ४८३ दि०१५-०१-१९

पदस्थापन परामर्श सूचना (Counselling for Posting information)

RPSC वरिष्ठ अध्यापक (विषय विज्ञान) भर्ती परीक्षा 2011 से चयनित अभ्यर्थी

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन शृंखला वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) प्रतियोगी परीक्षा 2011 से चयनित अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान - बीकानेर के पत्रांक शिविरा / माध्य / संस्था / एफ - १ / १२१०२ / सी०भ० / व०३० / वो.ा / २०११-१६ / दिनांक १०-०१-१९ द्वारा भरतपुर मण्डल आवंटित किये जाने पर वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पदस्थापन हेतु निम्नानुसार परामर्श कैम्प आयोजित किया जाएगा :-

परामर्श कैम्प स्थल :- कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर
(टाउन हॉल के पास किला भरतपुर)

विषय	दिनांक एवं समय	
वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान	दिनांक १७-०१-२०१९ दोपहर ०१.३० बजे	०१

कैम्प के लिए पंजीयन का समय विज्ञान विषय हेतु दोपहर ०१.३० बजे तक रहेगा। विलम्ब से उपस्थित होने वाले कार्मिकों को काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित वरीयता का लाभ देय नहीं होगा। सम्बन्धित कार्मिक अपने विषय से सम्बन्धित परामर्श तिथि / समय पर कैम्प में उपस्थित होकर पदस्थापन हेतु स्थान का चयन करें। परामर्श कैम्प में उपस्थित होकर विद्यालय का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों का विभाग द्वारा प्रदर्शित रिक्तियों में से शेष रही रिक्तियों पर कहीं भी पदस्थापन किया जा सकेगा।

चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता सूची एवं पदस्थापन हेतु निर्धारित की गई रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची विभागीय वेबसाइट rajrmsa.nic.in पर संलग्न कर प्रदर्शित है।


क्रम संख्या	वरीयता बिन्दु	वरीयता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज / प्रमाण पत्र / अभ्यावेदन
1	४० प्रतिशत से अधिक दिव्यांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र
2	विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी	आदिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने के शपथ पत्र के साथ ➤ विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ➤ परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय की डिक्री

उक्तानुसार प्राथमिकता प्राप्त अभ्यर्थियों को बिन्दु के सम्मुख अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही प्राथमिकता का लाभ दिया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को वरीयता निर्धारण में संशोधन / आपत्ति हो तो वह काउन्सिलिंग दिवस को ही दोपहर ०१.३० बजे परामर्श कैम्प स्थल पर सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थी परामर्श कैम्प में निम्न दस्तावेज (मूल एवं छायाप्रति) अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित हो।

- फोटो पहचान पत्र (आई.डी.)
- मूल आवेदन के साथ संलग्न किए गए समस्त (शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अन्य दस्तावेज)

उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में कार्मिक को काउन्सिलिंग प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है। सम्बन्धित अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि सूची में वर्णित अभ्यर्थी वांछित मूल दस्तावेजों एवं उनकी छायाप्रति सहित निर्धारित स्थान एवं समय पर काउन्सिलिंग में उपस्थित हो।


 (इन्दिरा सिंह)
 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
 भरतपुर संभाग, भरतपुर

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय वेतन शृंखला वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) 2011 परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु दिनांक 17-01-2019 को आयोज्य काउन्सिलिंग हेतु वरीयता सूची

क्र.सं.	वर्ग	मैरिट संख्या	अभ्यर्थी का नाम / पिता का नाम मय पता सर्व श्री/श्रीमती / सुश्री	जन्म दिनांक	चयन वर्ग
1	GE, WE, WD	2361	मधु सक्सैना / सुरेन्द्र कुमार सक्सैना, कालीमाई मंदिर के पास राजाखेड़ा रोड, धौलपुर	06-02-82	GENF

(Signature)
संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
भरतपुर संभाग भरतपुर
15.01.19